न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–पवन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः–34/2021

1. सुनील कुमार उम्र–27 वर्ष पुत्र बलदेव जाति कम्बोज निवासी चक 8 के तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर(राज.)
2. रवि कुमार उम्र–25 वर्ष पुत्र बलदेव जाति कम्बोज निवासी चक 8के तहसील अनूपगढ जिला श्री गंगानगर(राज.)
3. पूजारानी उम्र–23 वर्ष पुत्री बलदेव जाति कम्बोज निवासी चक 8 के तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर(राज.)
4. शांतिदेवी उम्र–52 वर्ष पत्नी बलदेव जाति कम्बोज निवासी चक 8 के तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर(राज.)

——— **वादी**

बनाम्

1. मायाबाई पत्नी बूटाराम जाति कम्बोज निवासी चक 2 पीजीएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर(राज.)
2. बूटाराम उम्र– वर्ष पुत्र घुमाराम जाति कम्बोज निवासी चक 2 पीजीएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर(राज.)
3. रमेश कुमार पुत्र बूटाराम जाति कम्बोज निवासी चक 2 पीजीएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर(राज.)
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़।

————**प्रतिवादीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता.

उपस्थित–

1. श्री मनोहर लाल एडवोकेट –वादीगण की ओर से
2. श्री योगेन्द्र कुमार एडवोकेट –प्रतिवादीगण की ओर से

::निर्णय:: **दिनांक–05.07.21**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण सं.–1 मायाबाई के नाम से कृषि भूमि वाके चक 2 पीजीएम बी तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.–13 पत्थर सं.–284/447 का किला नं.–1ता10,14,15 कुल 12 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड (2.910 हैक्टर) खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। उक्त भूमि को आगे वादग्रस्त भूमि कहा जायेगा। वादीगण के परदादा/[illegible] पुत्र सांझाराम जाति कम्बोज के नाम से गांव कुबाया तहसील वा जिला फाजिल्[illegible] में कृषि भूमि थी। वादीगण के परदादा/दादाससुर के देहांत के बाद [illegible] बूटाराम व भगवानचंद ही जायज वारिस थे। वादीगण के दा[illegible]भगवानचंद ने मिल कर गांव कुबाया की कृषि भूमि बेचान कर दी तथा भगवानचंद ने अपने [illegible] के रूपये प्राप्त कर लिए तथा वादीगण के दादा/ससुर बूटाराम ने परिस्थितियों को देखते हुए अपनी पत्नी प्रतिवादीया सं.–1 यानि वादीगण की दादी/सास मायाबाई के नाम से चक 2 पीजीएम बी तहसील अनूपगढ के उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि खरीद की थी। इस प्रकार वादीगण के दादा/ससुर को अपने पिता से उक्त भूमि पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुई है जिसमें वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pavan Kumar
Date: 2021.08.30 19:20:18 IST
Reason: SelfAttested

का जन्म से हित निहित है। फलस्वरूप वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि के सहदायी है। इस प्रकार उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पैतृक सम्पति है तथा सहदायिकी सम्पति है। वादीगण के दादा/ससुर बूटाराम के दो पुत्र क्रमशः वादीगण का पति/पिता बलदेव व रमेश कुमार है। वादीगण के पति/पिता बलदेव कुमार का दिनांक–04.05.2017 को देहांत हो चुका है। वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीगण के पति/पिता बलदेव का 1/3 हिस्सा निहित है। उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में मृतक बलदेव के परिवार के प्रत्येक सदस्य का सहदायिकी के रूप में जन्म से ही हिस्सा बनता है। यानि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में 1/3 हिस्सा के वादीगण के कानूनन हकदार है। वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण के पति/पिता अपने जीवनकाल में प्रतिवादीगण के साथ सयुंक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे थे। वादीगण के पति/पिता के देहांत के बाद से वादीगण प्रतिवादीगण सं.–1ता3 के साथ संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से मिल कर कहा कि इस कृषि भूमि का विभाजन कर अपने हिस्सा की कृषि भूमि अपने–अपने नाम से रिकॉर्ड में दर्ज करवा लेवे ताकि इस कृषि भूमि के संबंध में कोई विवाद ना हो। इस पर प्रतिवादीगण ने कहा कि जल्द ही विभाजन कर अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवा लेंगे। प्रतिवादीगण 1 एवं 2 जो वादीगण के दादा/दादी है। प्रतिवादीगण सं.–1वा2 वादीगण के पिता के देहांत के बाद प्रतिवादीया सं.–1वा2 प्रतिवादी सं.–3 के अनुचित प्रभाव में है तथा प्रतिवादी सं.–3 के अनुचित प्रभाव में आकर प्रतिवादीगण सं.–1वा2 वादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि में से उनके 1/3 हिस्सा से वादीगण को बेदखल करने हेतु आगे बेचान करने की फिराक में है तथा प्रतिवादीगण सं.–1ता3 दलालों को कृषि भूमि बेचान करने के लिए दिखाते रहते है। यदि प्रतिवादीगण सं.–1ता3 उक्त भूमि को आगे बेचान करने में कामयाब हो गये तो वादीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। क्योंकि उक्त पैतृक कृषि भूमि में वादीगण का जन्म से हित निहित है। आज से करीब 5–6 रोज पूर्व प्रतिवादीगण सं.–1ता3 मौका पर 2–3 व्यक्तियों को लेकर आए तथा वादग्रस्त भूमि दिखाने लगे जिस पर वादीगण को पता चला कि प्रतिवादगण सं.–1ता3 उक्त भूमि बेचान करने की कार्यवाही कर रहे है। इस पर वादीगण सं.–1ता3 से अपनी माता के साथ मौका पर गये तथा प्रतिवादीगण सं.–1ता3 को समझाने की कोशिश की कि वह उक्त भूमि बेचान ना करे। उक्त भूमि के अलावा वादीगण के भरण पोषण हेतु अन्य कोई जरिया नही है लेकिन प्रतिवादीगण सं.–1ता3 ने वादीगण की एक नही सुनी तथा वादीगण को ऐलानिया धमकी दी कि वादग्रस्त भूमि शीघ ही औन पौने दामों में अन्यत्र बेचान कर वादीगण को उनके हिस्सा से बेदखल देगें। आपसे जो होता है कर लो यही वाद कारण है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण सं.–1ता3 से वादीगण के हिस्से की भूमि बेचान नही करने तथा खाताविभाजन करवा कर वादग्रस्त कृषि भूमि में से वादीगण के 1/3 हिस्से का वादीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने हेतु पंचायत कर समझाने की कोशिश की तो प्रतिवादीगण सं.–1ता3 ने पंचायत के समक्ष भी वादग्रस्त कृषि भूमि अन्यत्र बेचान कर वादीगण को उनके हिस्सा से बेदखल करने की धमकी दी।यदि प्रतिवादीगण सं.–1ता3 अपने अवैध आशय मे कामयाब हो गए तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में नही किया जा सकता। इस प्रकार वादीगण अपने हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिवादीगण सं.–1ता3 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। पैतृक वादग्रस्त कृषि भूमि मे वादीगण का 1/3 हि[illegible] है वादीगण अपने 1/3 हिस्से का खाता विभाजन करवा कर राजस्व [illegible] अंकन करवाने के विधिक अधिकारी है। वादीगण का यह विधिक अधिकार है कि वादीगण अपनी सम्पति का उपयोग उपभोग करे तथा अपनी सम्पति संबंधी अधिकारों की रक्षा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1ता3 की तरफ से श्री योगेन्द्र कुमार एडवोकेट उपस्थित।

प्रतिवादीगण संख्या 1ता3 ने **प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी** पेश कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा उपरोक्त वाद में वर्णित वादाधीन सम्पति को सहदायिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pavan Kumar
Date: 2021.08.30 19:20:18 IST
Reason: SelfAttested

सम्पति बताते हुए वाद पेश किया है लेकिन वाद पत्र के साथ ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नही किया है। जिससे प्रथमदृष्टया उक्त सम्पति सहदायिक सम्पति प्रतीत होती हो वास्तविकता यह है कि उक्त वादाधीन सम्पति प्रार्थी माया बाई की स्वअर्जित, खरीदशुदा, खातेदारी भूमि कृषि है और विवादित भूमि की अप्रार्थी सं.–1 रिकॉर्डेड खातेदार टीनेन्ट है। चूंकि पक्षकारान हिन्दू है, जो हिन्दू विधि से शासित होते है। हिन्दू विधि के तहत किसी हिन्दू स्त्री की सम्पति उसकी आत्यान्तिक सम्पति है जिसकी वह हिन्दू स्त्री पूर्ण व आत्यान्तिक स्वामी है। भूमि खरीद के बैयनामा की चित्रप्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। वादीगण का वाद पोषणीय नही है तथा मौजूदा स्तर पर ही काबिल खारिज है। वादीगण का वाद पूर्णतयाः Frivolous एवं न्यायालय प्रक्रिया का दुरूपयोग है जो पोषणीय नही है तथा इसी स्तर पर काबिल खारिज है। उक्त वाद विधि विरूद्ध होने के कारण माननीय न्यायालय मे पोषणीय नही है। वादीगण का वाद–पत्र मय हर्जा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण/वादीगण ने निवेदन किया कि अप्रार्थी सं.–1 का विवाह अप्रार्थी सं.–2 के साथ करीबन 60 वर्ष पूर्व पंजाब मे हुआ शादी के समय अप्रार्थी सं.–1 के नाम से वाद पत्र मे दर्ज कृषि भूमि नही थी। अप्रार्थी सं–1 व2 ने शादी के काफी अरसा बाद अपने पिता के नाम की कृषि भूमि का बैचान करके राजस्थान आ गये तथा अप्रार्थी सं.–2 का सगा भाई भगवानदास जो भी राजस्थान आ गया तथा अपने पिता के नाम की कृषि भूमि का बैचान कर अप्रार्थी सं.–2 व उसके सगे भाई ने राजस्थान आकर कृषि भूमि के बैचान से प्राप्त हुई प्रतिफल राशि से कृषि भूमि खरीद की है अप्रार्थी सं.–2 ने अप्रार्थी सं.–1 के नाम से कृषि भूमि खरीद कर बैयनामा करवाया व भगवानदास ने स्वयं अपने नाम से कृषि भूमि खरीद की है। इस तरह से यह कृषि भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें प्रार्थीगण का हित व हक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वा हिन्दू उत्तराधिकार देता है पैतृक सम्पति के बिन्दू को साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। इस स्टेज पर यह कृषि भूमि पैतृक है या नही, स्त्रीधन है या नही प्रमाणित नही किया जा सकता। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के वाद पत्र का जवाब दावा पेश कर उस जवाब दावा में समस्त तथ्य दर्ज कर पेश करने पर माननीय न्यायालय प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के अभिवचनों के आधार पर तनकीयात कायम कर साक्ष्य के पश्चात उक्त बिन्दू पर अपना निर्णय पारित कर देगा। अप्रार्थीगण वाद पत्र का जवाब नही देकर यह प्रार्थना पत्र पेश वाद पत्र को लम्बा करना चाहते है। अप्रार्थीगण का मकसद मात्र इस कृषि भूमि का बैचान कर अन्य कृषि भूमि लेना है ताकि प्रार्थीगण का इस कृषि भूमि में निहित हक व हिस्सा समाप्त हो जाए। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को पैतृक सम्पति मे कोई हक वा हिस्सा नही देना चाहते है। प्रार्थीगण का वाद Frivolous नही है। प्रार्थीगण का वाद पत्र पैतृक सम्पति में जन्म से हक व अधिकार है हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थीगण को यह अधिकार कानूनी रूप से दिया गया है। यह तथ्य वाद पत्र में तनकीयात कायम होकर साक्ष्य आने पर प्रमाणित किए जा सकते है प्रकरण की इस स्टेज पर यह बिन्दू तय नही किया जा सकता है। प्रार्थीगण कानून के तहत दिए गए अधिकार हेतु वाद पेश कर माननीय न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करना चाहते है न्यायिक प्रक्रिया का कोई दुरूपयोग नही कर कानून के तहत दिए गए अधिकार के संबं[illegible] न्यायालय से अनुतोष चाहा गया है। अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आ[illegible] नही है क्योकि अप्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे कहीं दर्ज नही किया [illegible] किस विधि द्वारा प्रार्थीगण का वाद पत्र विधि वर्जित है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की उप[illegible]म से यह वाद पत्र वर्जित है दर्ज नही किया है इसलिए प्रार्थना पत्र काबिल निरस्ती के है। अप्रार्थीगण सं–1ता3 ने प्रार्थीगण के वाद पत्र का जवाब पेश नहीं कर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि अप्रार्थीगण जवाब दावा मे यह सब दर्ज कर माननीय न्यायालय में पेश कर देते माननीय न्यायालय अभिवचनों के आधार पर तनकीयात कायम कर व दोनो पक्षों की साक्ष्य लेखबद्ध कर व साक्ष्य आने पर तनकीयात पर अपना निर्णय पारित कर देती लेकिन अप्रार्थीगण ने जवाब दावा पेश नही कर वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.08.30 19:20:18 IST
Reason: SelfAttested

पत्र को लम्बा करना चाहता है ताकि अप्रार्थीगण इस कृषि भूमि का बेचान का सौदा कर रखा है उस बैचान के सौदे के तहत प्रतिफल प्राप्त कर अन्य कृषि भूमि खरीद कर प्रार्थीगण के हित व हक को खत्म कर सके। प्रार्थीगण को अपनी पैतृक सम्पति में हिस्सा देना नही चाहते है। इस षडयंत्र के तहत उक्त कार्यवाही आरम्भ कर बैचान का सौदा कर लिया व बैयनामा करवाने के प्रयासरत है ताकि प्रार्थीगण को पैतृक सम्पति में हिस्सा प्राप्त नही हो सके सारी सम्पति अप्रार्थीगण हडप कर सके। उक्त वाद पत्र को लम्बा करने की नीयत से प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थना पत्र में कही दर्ज नही किया कि प्रार्थीगण का वाद पत्र किस कानून के तहत विधि वर्जित है तथा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी किस उपमद से वाद पत्र कानूनी रूप से विधि वर्जित होने के कारण काबिल निरस्ती के है

प्रार्थना पत्र पंर बहस सुनी गई। पत्रावली का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। प्रार्थीगण के विद्धवान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया।

वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण 1ता3 ने अपनी मौखिक बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से निवेदन किया कि वादीगण द्वारा उपरोक्त वाद में वर्णित वादाधीन सम्पति को सहदायिक सम्पति बताते हुए वाद पेश किया है लेकिन वाद पत्र के साथ ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नही किया है। जिससे प्रथमदृष्टया उक्त सम्पति सहदायिक सम्पति प्रतीत होती हो। वास्तविकता यह है कि उक्त वादाधीन सम्पति प्रार्थी माया बाई की स्वअर्जित, खरीदशुदा, खातेदारी भूमि कृषि है और विवादित भूमि की अप्रार्थी सं.–1 रिकॉर्डेड खातेदार टीनेन्ट है। चूंकि पक्षकारान हिन्दू है, जो हिन्दू विधि से शासित होते है। हिन्दू विधि के तहत किसी हिन्दू स्त्री की सम्पति उसकी आत्यान्तिक सम्पति है जिसकी वह हिन्दू स्त्री पूर्ण व आत्यान्तिक स्वामी है। भूमि खरीद के बैयनामा की चित्रप्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। वादीगण का वाद पोषणीय नही है तथा मौजूदा स्तर पर ही काबिल खारिज है। वादीगण का वाद पूर्णतयाः Frivolous एवं न्यायालय प्रक्रिया का दुरूपयोग है जो पोषणीय नही है तथा इसी स्तर पर काबिल खारिज है। उक्त वाद विधि विरूद्ध होने के कारण माननीय न्यायालय मे पोषणीय नही है। वादीगण का वाद–पत्र मय हर्जा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अपने उक्त तथ्यों के समर्थन में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण 1ता3 ने निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये–

1. **2008(2) आर.एल.डब्लयू. 1390 राज. के** न्यायिक दृष्टान्त में अभिनिर्धारित किया है यदि वाद न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग हो और उसे आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज नही किया जा सकता तो न्यायालय असहाय नही है वह सि.प्र.सं. की धारा 151 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाद खारिज कर सकता है।

2. **2019 (3) सीसीसी पेज 160** न्यायिक दृष्टान्त में अभिनिर्धारित किया है कि Plaint can be rejected u/s 151 even in the absence of available grounds U.O.7.R.11 CPC as frivolous litigation is to be nipped in the bud at the earlist possible stage to safeguard the rights of adversary in [illegible] litigation and prolinging his agony.

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.08.30 19:20:18 IST
Reason: SelfAttested

3. **2020 (4) सीसीसी 777 एससी** न्यायिक दृष्टान्त में अभिनिर्धारित किया है कि agony A mere contemplation or possibillity that a right may be infringed without any ligitimate basis for that right, would not be suffielent to hold that plaint discloses cause of action.

वकील अप्रार्थीगण/वादीगण ने अपनी मौखिक बहस में जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए निवेदन किया कि । कि अप्रार्थी सं.–1 का विवाह अप्रार्थी सं.–2 के साथ करीबन 60 वर्ष पूर्व पंजाब मे हुआ शादी के समय अप्रार्थी सं.–1 के नाम से वाद पत्र मे दर्ज कृषि भूमि नही थी। अप्रार्थी सं–1 व2 ने शादी के काफी अरसा बाद अपने पिता के नाम की कृषि भूमि का बैचान करके राजस्थान आ गये तथा अप्रार्थी सं.–2 का सगा भाई भगवानदास जो भी राजस्थान आ गया तथा अपने पिता के नाम की कृषि भूमि का बैचान कर अप्रार्थी सं.–2 व उसके सगे भाई ने राजस्थान आकर कृषि भूमि के बैचान से प्राप्त हुई प्रतिफल राशि से कृषि भूमि खरीद की है अप्रार्थी सं.–2 ने अप्रार्थी सं.–1 के नाम से कृषि भूमि खरीद कर बैयनामा करवाया व भगवानदास ने स्वयं अपने नाम से कृषि भूमि खरीद की है। इस तरह से यह कृषि भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें प्रार्थीगण का हित व हक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वा हिन्दू उत्तराधिकार देता है पैतृक सम्पति के बिन्दू को साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। अपने उक्त तथ्यों के संबंध में **न्यायिक दृष्टांत आरआरसी 2001 पेज 311, लक्ष्मण सिंह बनाम् भवानी सिंह एंड आर्गनाईजेशन एवं आरआरडी 14.11.2010 भागीरथ एंड एएनआर बनाम् हडमानाराम एंड आर्गनाईजेशन पेज नं.–737** प्रस्तुत किये।

उभय पक्ष बहस पर मनन किया गया एवं उभय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का ससम्मान अवलोकन किया। वाद पत्रों के अभिवचनों का सूक्ष्मता से अध्ययन करने पर न्यायलय यह पाता है कि प्रतिवादी सं.–1 के द्वारा उक्त कृषि भूमि जरिए बैयनामा खरीद की गई। वकील अप्रार्थीगण/वादीगण ने भी अपने जवाब में स्वीकार किया है कि उक्त भूमि जरिए बैयनामा खरीद की गई है जिससे साबित होता है कि उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं.–1 की स्वयं के द्वारा खरीदशुदा है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम,1956 की धारा–14 (1) के अनुसार **'हिन्दू नारी के कब्जे में की कोई भी सम्पति, चाहे वह अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात अर्जित की गई हो, उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न कि परिसीमित स्वामी के तौर पर धारित की जाएगी।'** धारा–1 के स्पष्टीकरण खण्ड में भी यह स्पष्ट किया गया है कि हिन्दू नारी के द्वारा कैसी भी रीति से अर्जित की गयी सम्पति हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम,1956 की धारा–14 (1) के प्रयोजनों के लिए हिन्दू नारी के कब्जे की सम्पति समझी जावेगी। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम,1956 की धारा–14 (2) के तहत **'उपधारा–(1) में अन्तर्विष्ट कोई बात ऐसी किसी सम्पति को लागू न होगी जो दान अथवा विल द्वारा या अन्य किसी लिखत के अधीन सिविल न्यायालय की डिक्री या आदेश की अधीन या पंचाट के अधीन अर्जित की गई हो यदि दान, विल या अन्य लिखत अथवा डिक्री, आदेश या पंचाट के निबन्धन ऐसी सम्पति में निर्बन्धित सम्पदा विहित करते हो।'** चूंकि उक्त विवादित कृषि भूमि जरिए बैयनामा प्रतिवादी सं.–1 जो कि हिन्दू नारी है, के द्वारा क्रय की गई है इसलिए प्रश्नगत कृषि भूमि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम,1956 की धारा–14 (1) के उपबंध के तहत आती है न की धारा 14(2) के उपबंध के तहत। अतः न्यायालय की राय में विवादित कृषि भूमि जरिए बैयनामा प्रतिवादी सं.–1 जो कि हिन्दू नारी है, के द्वारा क्रय की गई होने के कारण सहदायिक सम्पति न होकर प्रतिवादी सं.–1 की आत्यांतिक अपनी [illegible] पूर्ण स्वामी के तौर पर धारित करने के लिए विधिक रूप से सक्षम है। फलतः [illegible] कृषि भूमि मे वादीगण का 1/3 हिस्सा निहित होना न्यायोचित नही कहा [illegible] अप्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे किस विधि द्वारा प्रार्थीगण का [illegible] का उल्लेख नहीं किये जाने के कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के [illegible] पोषणीय नही होने का है, न्यायालय की राय में वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं.–1ता3 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत . **2008(2) आर.एल.डब्लयू. 1390 राज., 2019 (3) सीसीसी पेज 160** हस्तगत प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होते है एवं यदि वाद न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग हो और उसे आदेश 7

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.08.30 19:20:18 IST
Reason: SelfAttested

नियम 11 के तहत खारिज नही किया जा सकता तो न्यायालय असहाय नही है वह सि.प्र.सं. की धारा 151 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाद खारिज कर सकता है।

अतः उक्त विवेचन के क्रम में न्यायालय की राय में हस्तगत वाद पूर्णतयाः Frivolous होने के कारण एवं चाहा गया अनुतोष प्रदत किया जाना विधि द्वारा वर्जित होने से न्यायालय के समक्ष पोषणीय नही होने के कारण प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण 1ता3 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद नामंजूर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश ::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण 1 एवं 3) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सि.प्र.सं. स्वीकार किया जाता है एवं हस्तगत वाद पत्र को नामंजूर किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **05.07.2021** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.08.30 19:20:18 IST
Reason: SelfAttested